न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 516/2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण।		1 भंवरलाल पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी बलदेव नगर बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 177 RTA Act.

उपस्थिति :– 1 पैरोकार सरकार।

आदेश

दिनांक: 16/08/24

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा ढूंढा पटवार हल्का कवास तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 1198/430 रकबा 0.0728 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1196/430 रकबा 0.0971 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी की खातेदारी में अंकित है तथा प्रार्थी भूमिपति है। अप्रार्थीगण उक्त भूमि का कृषि से भिन्न अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लेकर दुकानों का संचालन कर व्यावसायिक रूप में कार्य कर रहे है, जो बिना किसी सक्षम अधिकारी के काश्कारी भूमि का बिना संपरिवर्तन करवाये अकृषि के रूप में उपयोग किया जा रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरों की भूमि का उपयोग व्यावासाय के रूप में उपभोग कर कृषि से भिन्न अकृषि व्यावसायिक रूप में उपयोग किया जा रहा है जो राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम की धारा 177 में वर्णित प्रावधानों के विपरित है। लिहाजा मौजा ढूंढा पटवार हल्का कवास तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 1198/430 रकबा 0.0728 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1196/430 रकबा 0.0971 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी के खातेदारी अधिकार समाप्त करते हुए भूमि का कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द करावें।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नॉटिस तलब किया गया। अप्रार्थी को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब प्रस्तुत नही किया तथा न ही न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ।

प्रार्थी को सुना गया। पेरोकार सरकार ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि भूमि सम्परिवर्तन किये बिना अप्रार्थी द्वारा खातेदारी भूमि का कृषि से भिन्न उपयोग कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लघंन किया है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत तर्को पर चिन्तन–मनन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वर्तमान में मौजा ढूंढा पटवार हल्का कवास तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 1198/430 रकबा 0.0728 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1196/430 रकबा 0.0971 हैक्टेयर भूमि पर व्यवासाय का उपयोग अप्रार्थी द्वारा किया जा रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरों की भूमि का उपयोग व्यावासाय के रूप में उपभोग कर कृषि से भिन्न अकृषि व्यावसायिक रूप में उपयोग किया जा रहा है जो राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम की धारा 177 में वर्णित प्रावधानों के विपरित है। भूमि का भू–सपंरिवर्तन की कार्रवाई किये बिना अवैध रूप से व्यवसाय के रूप में अप्रार्थी द्वारा उपयोग किया जा रहा है, जो विधि सम्मत नही है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत मौजा ढूंढा पटवार हल्का कवास तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 1198/430 रकबा 0.0728 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1196/430 रकबा 0.0971 हैक्टेयर भूमि में अप्रार्थी के खातेदारी अधिकार समाप्त कर उक्त भूमि राजकीय सरकार में निहित की जाती है। तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त करने की कार्रवाई करें। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.26 17:21:57 IST
Reason: SelfAttested

(समदरसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 16/08/24 को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO), बाड़मेर